

राजस्व
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

13.01.2022

राजस्व प्रार्थना पत्र बाद जॉच पेश हुआ । अधिवक्ता प्रार्थी श्री फिरोज मोहम्मद हाजिर। प्रार्थी की ओर से हाजिर अधिवक्ता ने अंतरिम बहस हेतु निवेदन किया गया। हाजिर अधिवक्ता के निवेदन को स्वीकार कर अंतरिम बहस (प्रार्थना-पत्र) के आदेश दिये गये। इस पर हाजिर अधिवक्ता द्वारा अंतरिम बहस (प्रार्थना-पत्र) की गई। हमने अधिवक्ता द्वारा की गई अंतरिम बहस (प्रार्थना-पत्र) को एक तरफा सुना। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी अंतरिम बहस प्रार्थना-पत्र में निवेदन कर अप्रार्थीगण के विरुद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित करानी चाही है। हमने वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212

राज0काश्त0अधि0 1955 का अवलोकन किया। दस्तावेजात नकल जमाबन्दी, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र का अवलोकन किया, चिंतन व मनन किया। प्रार्थी अभिभाषक ने निवेदन किया कि प्रतिवादी विवादित भूमि विक्रय करने, अवैध निर्माण तथा भौतिक स्थिति में परिवर्तन करने पर आमदा है। वकील प्रार्थी के निवेदन को एक तरफा अंतरिम रूप से स्वीकार किया जाकर उक्त प्रार्थना पत्र प्रथमदृष्टया प्रार्थी के पक्ष में होने, सुविधा का संतुलन प्रार्थी की तरफ होने एवं अपूरणीय क्षति कारित होने की संभावना देखते हुए अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पक्ष प्रार्थी विरुद्ध अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय से जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण आगामी आदेश तक मौजा ग्राम गनाहेड़ा पटवार हल्का गनाहेड़ा तहसील पुष्कर में स्थित विवादित आराजीयात खाता संख्या नया 79 पुराना 79 के खसरा नंबर 1677/2199, 1681, 1682, 1683/2201 कुल किता 4 कुल रकबा 0.6900 है0 (चाही) भूमि पर मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखते हुए रहन, बेचान, हस्तांतरण, निर्माण एवं भौतिक परिवर्तन इत्यादि गतिविधियां न हीं करें और न ही करावें। इसमें यदि अप्रार्थीगण को कोई एतराज हो तो दिनांक 14.02.2022

को प्रातः 10.00 बजे न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 14.02.2022 को पेश हों।

14/2/22

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

~~प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रार्थी मंच उचित रूप से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 14.02.2022 को पेश हों।~~

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)
14.2.22

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)
14.02.22